यह निरीक्षण आख्या कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी के अवधि माह 10/2014 से 04/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री दिपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक द्वारा दिनॉक 28.05.2016 से 08.06.2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः–

1. इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विनित राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 31–10–2014 से 14.11.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 12/2012 से 09/2014 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2014 से 04/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।
2. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखाः–

   1. श्री एस के त्रिपाठी – 08.08.2014 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति

क्रम सख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग–2 अ	भाग–2 ब	STAN
01	22/2005–06	01	01	
02	89/2007–08	–	01	
03	165/2008–09	–	02	
04	81/2102–13	–	**05**	
05	113/2014–15	–	**02**	**01**
योग		**01**	**11**	**01**

4. सतत् अनियमिततायें – शून्य

5. अप्रस्तुत अभिलेख – शून्य

6. बजट

(` लाख में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेतर	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2013–14	2203.35	1952.45	––	––
2014–15	1931.59	992.60	––	––
2015–16	438.76	418.23	––	––
2016–17 (04/2016)	अप्राप्त			

भाग–II "ब"

प्रस्तर–1 नन्दा देवी योजना के अनतर्गत पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध/प्राप्त धनराशि `113.55 लाख का वितरण न कर अवरूद्व रखना एवं पात्र 418 लाभार्थि को धनराशि `.62.70 लाख उपलब्ध न करना।

शासनादेश (05/2009) के अनुसार 01 जनवरी 2009 से परिवार में जन्म लेने वाली कन्या शिशुओं के लिए राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना प्रारभ्भ की गयी। जो की अब **नन्दा देवी कन्या योजना हमारी कन्या हमारा अभिमान** के नाम से संचालित की जा रही है। **शासनादेश (10/2014)** के अनुसार राज्य में बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उददेश्य से बी पी एल श्रेणी के अर्न्तगत आने वाल परिवार के लाभ देने के उद्देश्य से लाभार्थियो को आर्थिक सहायता के रूप में रू. 15000/प्रदान किये जाने का प्रावधान है। प्रथम किस्त के रूप में रू. 5,000/की धनराशि (Account payee) चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावको (माता/पिता) को प्रदान की जानी होती है। शेष रू.10,000/–की धनराशि की 10 वर्ष के लिए एफ डी (सावधि जमा) जनपद के लीड बैक के माध्यम से कन्या तथा उसके माता के नाम से संयुक्त रूप से कराई जाती है। योजना की द्वितीय किश्त 10 वर्ष की आयु के उपरान्त पुनः कन्या की माता के खाते में ई–ट्रान्सफर के माध्यम से रू.5000/की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 08 वर्षो की अवधि के लिए जनपद के लीड बैक के माध्यम से एफडी करा दी जायेगी। तृतीय/अन्तिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थि बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी के योजना सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ मे पाया गया कि वर्ष 2015–16 में कुल 1175 लाभाथिर्यो को चयन किया गया जिसमें से 757 को लाभान्वित किया जा सका। जिसके लिए आवश्यक धनराशि कोषागाार से क्रमश दिसम्बर 2015 में रू 37.95 एवं 02/2016 में रू 75.60 कुल धनराशि (रू.15000 प्रति दर से) रू.113.55 लाख का आहरण किया गया था। हालाकि, सम्प्रेक्षा अवधि तक उक्त धनराशि लाभार्थि के खातें में स्थानातरण नही कि जा सकी एवं कार्यालय स्तर पर अवरूद्व पडी है। साथ ही यह भी प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के चयनित पात्र 418 लाभार्थियों की (रू 15000 की दर से) रू. 62.70 लाख की धनराशि अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि सम्बन्धित लाभार्थियों बालिकाओं के अभिभावको के खाता नम्बर परियोजना अधिकारियों से प्राप्त किये गये है। इसी माह धनराशि लाभार्थी के खाते में जमा/एफ डी की जायेगी। अवशेष पात्र लाभार्थियों (418) को धनराशि निदेशालय से आंवटन न होने के कारण लाभान्वित नही किया गया है। बजट प्राप्त होने पर लाभान्वित कर दिया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि धनराशि वित्तीय वर्ष में ही लाभार्थी के खातें में जमा कर दिया जाना चाहिए था। जबकि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने (2015–16) के पश्चात भी लाभार्थियों के खातों में जमा नही किया जा सका एवं अवशेष पात्र 418 लाभार्थियों को भी ` 62.70 लाख धनराशि उपलब्ध हेतु कोई भी प्रयास इकाई स्तर पर नही किया जा रहा है।

अतः पात्र लाभार्थियों को इकाई में उपलब्ध धनराशि `113.55 लाख का वितरण न कर अवरूद्व रखाना एवं पात्र 418 लाभार्थि को धनराशि `.62.70 लाख उपलब्ध न करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- सामग्री आपूर्ति के देयकों से टी.डी.एस. की कटौती न किया जाना, ₹ 2.92 लाख।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों (पैरा संख्या 6.1.1) के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की गयी सामग्री अधिप्राप्तियों के लिए ठेकेदारों के बिल से 2 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. (Tax Deduction at Source) की कटौती की जानी होती है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में सामग्री की आपूर्ति के लिये उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, देहरादून, समीक्षा इंडस्ट्रीज, हर्रावाला, देहरादून एवं हाई टेक कम्यूनिकेशन, राजपुर रोड़, देहरादून की दरें न्यूनतम होने के फलस्वरूप अनुबंध गठित किये गए थे। कार्यालय द्वारा उपरोक्त फर्मों से कर्य की गयी सामग्रियों के वर्ष 2015-16 के बाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा फर्मों से क्रमशः ` 65.54, ` 45.53 एवं ` 37.27 लाख (कुल ` 146.27 लाख, सूची संलग्न) कि सामग्री का क्रय किया गया था। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से ` 2.92 लाख के टी.डी.एस. की कटौती सप्लायर्स के बिलों से नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015-16 में टी.डी.एस. काटे जाने हेतु कोषागार सिस्टम में कोई प्रावधान नहीं था, जिसके कारण टी.डी.एस. नहीं काटा जा सका।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के बिल से 2 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. की कटौती की जानी होती है। यदि कोषागार के ऑनलाइन सिस्टम में उक्त की सीधे कटौती की नहीं थी तो काटे गए टी.डी.एस. को परम्परागत तरीके से चालान द्वारा जमा कराया जा सकता था।

अतः सामग्री आपूर्ति के देयकों से ` 2.92 लाख की धनराशि कटौती न करने का यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)